न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनियां)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/67/2024

1. घीसू पुत्र हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

(वादी)

बनाम

1. गंगाराम पुत्र हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. गोपाल पुत्र हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. घीसी पुत्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. माया पुत्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. नारायण पुत्र गंभीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. लाला पुत्र गंभीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. सजनी पत्नि गंभीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकडी
9. उप पंजीयक, नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रतिवादीगण)

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— **1. वकील वादी श्री शिवकुमार जोशी**
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 11.02.2025

वादी ने इस वाद प्रत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम पाड़लियां पटवार हल्का पाड़लियां, भू. अ.नि. क्षेत्र नागोला तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073—2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 701 में दर्ज खसरा संख्या 1594 रकबा 0.88 है0, खसरा संख्या 1595 रकबा 0.98, खसरा संख्या 1620 रकबा 0.89 और खसरा संख्या 2139 रकबा 0.49 किता— 4 रकबा 3.42 हैक्ट0, और खाता सं. 702 में दर्ज खसरा संख्या 1746 रकबा 0.51 है0, खसरा संख्या 432 रकबा 0.28 और खसरा संख्या 64 रकबा 1.56 किता— 3 रकबा 2.35 हैक्ट0 वादी एवं प्रतिवादी सं. 07 जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहें हैं। वाद वर्णित आराजीयात खाता संख्या 701 में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 01 लगातार 04 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित है, खाता संख्या 702 में वादी का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 का 1/10 तथा प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 07 का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है।

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की संयुक्त काश्त की अविभाजित आराजीयात होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादी उक्त संयुक्त आराजीयात में अपने हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की आराजी का विधिवत विभाजन कर अलग—अलग खाते कायम करने के आदेश कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01, 02 और 04 द्वारा उक्त वाद पत्र के सन्दर्भ में नियमानुसार नोटिस तामिली के उपरान्त पत्रावली में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

होकर नियमानुसार बंटवारा किये जाने पर अपनी सहमति प्रकट कर पत्रावली आदेशिका पर अपनी टिप्पणी दर्ज की। प्रतिवादी संख्या 03, 05, 06 और 07 को नियमानुसार नोटिस तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 03, 05, 06 और 07 के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार को नियमानुसार नोटिस तामिल के उपरान्त, बार–बार जवाब बाबत् अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पत्रावली में जवाब सरकार बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया है, पत्रावली में प्रश्नगत आराजी की राजस्व जमाबन्दी पूर्व में पेश की गई है। वकील वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने बाबत् निवेदन किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पत्रावली में वकील वादी से एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों को दोहराते हुए, निवेदन किया गया कि वाद वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा है। जिसमें वादी कब्जाकाश्त है। अतः वाद वर्णित आराजीयात में बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व जमाबन्दी संवत् 2073–2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी ग्राम पाड़लियां का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजीयात में वादी रिकॉर्डेड खातेदार है। वकील वादी द्वारा दौराने बहस वादी का कब्जाकाश्त बताया गया है, जिसका खण्डन प्रतिवादीगणों द्वारा नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा वकील वादी के कथनों पर मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रथमदृष्टियां न्यायसंगत होना पाया गया। वादी के वाद पत्र अनुसार प्रश्नगत आराजीयात में वादी का हक हिस्सा निहित होने तथा कब्जाकाश्त होने के आधार पर प्रथमदृष्टियां वाद पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि वादी तथा प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 के मध्य ग्राम पाड़लियां पटवार हल्का पाड़लियां, भू.अ.नि. क्षेत्र नागोला तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073–2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 701 में दर्ज खसरा संख्या 1594 रकबा 0.88 है0, खसरा संख्या 1595 रकबा 0.98, खसरा संख्या 1620 रकबा 0.89 और खसरा संख्या 2139 रकबा 0.49 किता– 4 रकबा 3.42 हैक्ट0, और खाता सं. 702 में दर्ज खसरा संख्या 1746 रकबा 0.51 है0, खसरा संख्या 432 रकबा 0.28 और खसरा संख्या 64 रकबा 1.56 किता– 3 रकबा 2.35 हैक्ट0 वादी एवं प्रतिवादी सं. 07 जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहें हैं। अतः वाद वर्णित आराजीयात खाता संख्या 701 में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 01 लगातार 04 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा, और खाता संख्या 702 में वादी का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 का 1/10 तथा प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 07 का 1/6 हिस्सा अनुसार भूमि का मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर उक्त वर्णित हक हिस्से अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम करने की प्राथमिक डिक्री कायम की जाती हैं। यथानुसार तहसीलदार भिनाय राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम की धारा 18 से 21 के प्रावधानानुसार बंटवारा प्रस्ताव आगामी पेशी दिनांक तक प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रारंभिक डिक्री मुकदमा इब्ताई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

घीसू वगै0 बनाम गंगाराम वगै0

(विस्तृत उनवान पुष्ठ पर दर्ज है)

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए, 188, 209 रा.का. अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 67/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.) व हाजरी अधिवक्ता वादी श्री शिवकुमार जोशी अधिवक्ता मिनजामिन मुद्दई रूबरू ....मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दी जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि ग्राम पाड़लियां पटवार हल्का पाड़लियां, भू.अ.नि. क्षेत्र नागोला तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073–2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 701 में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 01 लगातार 04 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा, और खाता संख्या 702 में वादी का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 का 1/10 तथा प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 07 का 1/6 हिस्सा अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम कर नक्शें में तरमीम बंटवारा प्रस्ताव **तलब किए जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।**

निजी........................X........................मुबलिक........................X........................बाबत्................X..........खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह................................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक.....................

X.................... को अदा करें।

वसूलियाव तक...................X..................... को अदा करें।

वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2025 को प्रारंभिक डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त........(signature)........

ओहदा.......... उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

मुद्दई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालत नामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–
महन्ताना वकील	–	–
खर्चा गवाहान	–	–
फीस कमीश्नर	–	–
बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–
मिजान		

मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालत नामा	–	–
महन्ताना वकील	–	–
खर्चा गवाहान	–	–
फीस कमीश्नर	–	–
बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–
मिजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/67/2024

1. घीसू पुत्र हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
(वादी)

बनाम

1. गंगाराम पुत्र हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. गोपाल पुत्र हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. घीसी पुत्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. माया पुत्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. नारायण पुत्र गंभीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. लाला पुत्र गंभीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. सजनी पत्नि गंभीरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकडी
9. उप पंजीयक, नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रतिवादीगण)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)